हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
04-6-21	वकुलाय फरीकेन उपस्थित। आज हम कोविड नियंत्रण कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक..22/09/2021.....को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बाड़मेर राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान ग्राम पंचायत मुख्यालय विशाला पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक 15.12.2021 को ग्राम पंचायत मुख्यालय, राजीव गांधी सेवा केन्द्र विशाला पर पत्रावली पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर	नवलिंह अ.सि. मेवीदेवी
15/12/2021	पत्रावली राजीव गांधी सेवा केन्द्र विशाला पर पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित। उत्तरदाता संख्या 01 एवं 02 उपस्थित। अपीलार्थी का कथन है, कि मौजा विशाला आगौर तहसील बाड़मेर में अपीलकर्ता के पति व उतरदाता संख्या 2 के पिता बागाराम उर्फ बागसिंह पुत्र श्री जवाराराम कौम दरोगा निवासी विशाला आगौर के नाम से मौजा विशाला आगौर में खेत खसरा नंबर 399 रकबा 28.10 बीघा का आया हुआ था। अपीलकर्ता के पति मुतवफी बागाराम उर्फ बागसिंह का देहान्त दिनांक 21.09.1989 को होने पर मुतवफी बागाराम उर्फ बागसिंह के पुत्र भंवरसिंह एवं अपीलकर्ता जिसका नाम मेवीदेवी की जगह गलत रूप से गेरीदेवी के नाम से नामान्तरकरण भरा गया और अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर दिये बिना ग्राम पंचायत विशाला द्वारा अपीलकर्ता के गलत नाम गेरीदेवी के नाम से नामान्तरकरण भरा गया और अपीलकर्ता को सुनवाई के अवसर दिये बिना ग्राम पंचायत विशाला द्वारा अपीलकर्ता के गलत नाम गेरीदेवी के नाम से नामान्तरकरण संख्या 108 दिनांक 11.02.1990 स्वीकृत कर दिया गया। इस आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलकर्ता की और से अपील प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना है कि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत विशाला द्वारा नामान्तरकरण संख्या 108 जो गेरीदेवी के नाम से स्वीकार किया गया है उसकी जगह मेवीदेवी अंकित करते हुए म्युटेशन को शुद्ध किया जाने के आदेश पारित किये जावें।	

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	राजस्व अपील संख्या 22/2018 अनवान मेवीदेवी बनाम सरपंच, ग्राम पंचायत विशाला एवं अन्य
	अपील पंजीयन कर उत्तरदातागण को जरिये सम्मन तलब किया गया। उत्तरदाता संख्या 01 एवं 02 उपस्थित। उतरदाता संख्या 01 सरपंच ग्राम पंचायत विशाला द्वारा अनापति प्रमाण पत्र जारी किया गया कि ग्राम विशाला आगौर खसरा नंबर 684/399 रकबा 28.10 बीघा भूमि खातेदार गेरीदेवी पत्नी बागसिंह के स्थान पर मेवीदेवी पत्नी बागसिंह राजरव रेकर्ड में किया जाता है तो ग्राम पंचायत विशाला को कोई आपत्ति नही है। ग्राम विशाला नामान्तरकरण संख्या 108 दिनांक 11.02.1990 ग्राम पंचायत विशाला द्वारा स्वीकृत किया जिसमे खातेदार का नाम लिपिकिय त्रुटि से गेरीदेवी दर्ज हो गया था जो कि गलत निर्णय हुआ था। उत्तरदाता संख्या 02 भंवरसिंह पुत्र बागसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी विशाला तहसील एवं जिला बाड़मेर द्वारा अपने ब्यान मे बताया है कि मेरी व मेरी माताजी के नाम से ग्राम विशाला आगौर के खातेदारी खेत खसरा नंबर 684/399 रकबा 28.10 बीघा भूमि आयी हुई है। उक्त खसरा नंबर की भूमि में मेरी माता का नाम राजस्व रेकर्ड में गेरीदेवी पत्नी बागसिंह दर्ज है। जबकि मेरी माता का सही व वास्तविक नाम मेवीदेवी पत्नी बागसिंह है। राजस्व रेकर्ड में गेरीदेवी के स्थान पर मेवीदेवी दर्ज किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नही है। गेरीदेवी नाम की कोई महिला हमारे परिवार में नही है। तहसीलदार, बाड़मेर से अपील में अंकित तथ्यो के बारे में तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। मजमे आम में उपस्थित लोगो से जानकारी ली गई। मजमेआम दिनांक 15.12.2021 मे मौजीज लोगो द्वारा बताया गया कि मृतक खातेदार बागाराम पुत्र जवाराराम के एक जायंदा पुत्र है भंवरसिंह एवं मृतक बागाराम पुत्र जवाराराम के धर्मपत्नि का नाम मेवीदेवी पत्नी बागसिंह है। गेरीदेवी नाम की कोई महिला बागाराम उर्फ बागसिंह की पत्नी नही है। मृतक खातेदार बागाराम पुत्र जवाराराम के धर्मपत्नी का सही और वास्तविक नाम मेवीदेवी पत्नी बागसिंह शुद्व करने की मजमेआम द्वारा सहमती जाहिर की गई।
	अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत, विशाला द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण सं0 108 पर पारित आदेश दिनांक 11.02.1990 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार, बाड़मेर को आदेश दिये जाते है कि नये सिरे से नामान्तरकरण खोला जाकर ग्राम विशाला आगौर तहसील बाड़मेर में खसरा नंबर 684/399 रकबा 28.10 बीघा में अंकित मृतक खातेदार बागाराम पुत्र जवाराराम जाति रावणा राजपूत के वारिशान के नाम मे से गेरीदेवी का नाम हटाकर अपीलान्ट मेवीदेवी पत्नी बागसिंह का नाम सहखातेदार के रूप मे अंकित करते हुए समस्त राजस्व अभिलेख में अमलदरामद सुनिश्चित करावे। आदेश मजमे आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर	